रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 13, 2013/माघ 24, 1934
No. 332] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2013/MAGHA 24, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2013

का.आ. 357(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर ज़िले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के 125/000 कि.मी.से कि.मी. 173/000 तक का निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन पेव्ड शोल्डर बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), श्रीगंगानगर को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के 125/000 कि.मी. से 173/000 कि.मी. तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या (खसरा नं.)	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीगंगानगर	सूरतगढ़	रोहीहिन्दौर (राजियासर)	43	निजी	बारानी	0.0800

1	2	3	4	5	6	7	8
				46/1	निजी	बारानी	3.1221
				46/2	निजी	बारानी	0.8729
				47	निजी	बारानी	0.1772
				68/4	निजी	बारानी	1.3044
				100/9	निजी	बारानी	0.7497
				48	निजी	बारानी	0.1012
						कुल योग	**6.4075**

[फा. सं. आर डब्ल्यू/एनएच-37014/6/2011-एनएचडीपी-IV-ए]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2013

S.O. 357(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 15 on the Stretch of land from Km. 125/000 to Km. 173/000 in District of Sriganganagar in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the ADM (Administration), Sriganganagar in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 125/000 to Km. 173/000 in District of Sriganganagar in the State of Rajasthan of the National Highway No. 15 in the State of Rajasthan.

Serial No.	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area in hectares/ Square metres
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sriganganagar	Suratgarh	Rohi Hindor (Rajiasar)	43	Private	Barani	0.0800
				46/1	Private	Barani	3.1221
				46/2	Private	Barani	0.8729
				47	Private	Barani	0.1772
				68/4	Private	Barani	1.3044
				100/9	Private	Barani	0.7497
				48	Private	Barani	0.1012
						Total	6.4075

[F. No. RW/NH-37014/6/2011-NHDP-IV-A]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.